

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कं.—519 / 2015

संस्थित दिनांक—23.06.2015

फाईलिंग क्र.234503005922015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1—चितेश बिसेन पिता हेमराज बिसेन, उम्र—23 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी—मलाजखण्ड टाउनशिप, थाना मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट(म.प्र.)

2—संदीप राय पिता स्व. शैलेन्द्र राय, उम्र—28 वर्ष, जाति कलार,
निवासी—मलाजखण्ड टाउनशिप, थाना मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट(म.प्र.)

आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक—28 / 11 / 2015 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—457 एवं 380 / 34 के तहत आरोप है उन्होंने दिनांक—01.06.2015 की रात्रि 11:30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम बंजारीटोला माँ नीरा फ्यूल्स के परिसर में सूर्योदय के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया तथा माँ नीरा फ्यूल्स परिसर में से फरियादी प्रदीप ब्रम्हे की सहमति के बिना उसके आधिपत्य की हीरो कंपनी की साईकिल जिसका फ्रेम नंबर—एच.डी. 045 / 603 कीमती 2,500 /—रुपये को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—01.06.2015 को रात्रि 11:00 बजे फरियादी प्रदीप ब्रम्हे पेट्रोल पम्प बंद करके अंदर सो गया था और अपनी हिप्पो कंपनी की साईकिल जिसका फ्रेम नंबर एच.डी—045 / 603 कीमती करीब 2,500 /—रुपये पेट्रोल पम्प के बाजू में रखी थी। रात्रि करीब 11:30 बजे वह बाथरूम

के लिए उठा तो देखा कि उसकी साईकिल नहीं थी, तब उसने और उसके साथी महेन्द्र कनौजे ने साईकिल को आसपास ढूँढ़े तो साईकिल नहीं मिली, जो किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में की गई, जिस पर पुलिस थाना मलाजखण्ड में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-69/2015 अंतर्गत धारा-380, 457 पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेख किये गए। विवेचना के दौरान आरोपी चितेश बिसेन एवं संदीप राय से पता तलाशी करने पर उन्होंने जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन लिये गए तथा उनके बताए अनुसार चोरी गई साईकिल व चाबी जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार किया गया एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457 एवं 380/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण का अभियुक्त परीक्षण धारा-313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने घटना घटना दिनांक-01.06.2015 की रात्रि 11:30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम बंजारीटोला माँ नीरा फ्यूल्स के परिसर में सूर्योदय के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में फरियादी प्रदीप ब्रम्हे की सहमति के बिना उसके आधिपत्य की हीरो कंपनी की साईकिल जिसका फ्रेम नंबर-एच.डी. 045/603 कीमती 2,500/-रुपये को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की ?

विचारणीय बिन्दु क.-1 व 2 पर सकारण निष्कर्ष:-

5- प्रदीप ब्रम्हे (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह

आरोपीगण को जानता है। घटना इसी वर्ष माह मई-जून की है। उसने अपनी साईकिल पेट्रोल पम्प पर खड़े किया था। उसकी साईकिल हिप्पो कंपनी की थी, जिसका फ्रेम नंबर एच.डी-045/603, जिसकी कुल कीमत 2,500/-रुपये थी। उसके द्वारा साईकिल को आस-पास जाकर ढूंढा गया, किन्तु साईकिल नहीं मिली। उसकी साईकिल को किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर ले गया था, जिसके संबंध में उसने थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट दर्ज करवाया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जब रात को बाथरूम के लिए उठा था तो उसे साईकिल चोरी होने की जानकारी लगी थी। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय उसके आधिपत्य की साईकिल अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी किये जाने की पुष्टि की है।

6— राजकुमार लाहोरी (अ.सा.2) ने भी अपनी साक्ष्य में बताया था कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को जानता है। उसके समक्ष आरोपीगण ने पुलिस को कोई कथन नहीं दिए थे। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-3 एवं 4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी चितेश और संदीप से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 एवं 6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 एवं 8 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे।

7— उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय पुलिस वाले ने आरोपी चितेश से पूछताछ की थी, तो उसने आरोपी संदीप के साथ माँ नीरा फ्यूल्स पेट्रोल पम्प बंजारी टोला परिसर में रखी हीरो कंपनी की साईकिल चोरी करना और उसे प्रगति मैदान के पास की झाड़ी में छिपाकर रखना बताया था। साक्षी ने आरोपी संदीप के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4 से भी इंकार किया है, जिसमें कथित रूप से आरोपीगण द्वारा उक्त साईकिल की चोरी करना और उसे झाड़ी में छुपाकर रखना बताया है। इस साक्षी ने उसके समक्ष पुलिस द्वारा आरोपी चितेश के बताने पर साईकिल की जप्ती किये जाने

और उसकी चाबी आरोपी संदीप के बताने पर जप्त किये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस के कहने पर समस्त दस्तावेजों पर उसने हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार साक्षी ने मेमोरेण्डम कार्यवाही प्रदर्श पी-3, प्रदर्श पी-4, जप्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-5, प्रदर्श पी-6 व गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 से इंकार किया है।

8— लवलेश वर्मा (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को जानता है। उसके समक्ष आरोपीगण ने पुलिस को कोई कथन नहीं दिए थे। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-3 एवं 4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी चितेश और संदीप से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 एवं 6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 एवं 8 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे।

9— उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय पुलिस वाले ने आरोपी चितेश से पूछताछ की थी, तो उसने आरोपी संदीप के साथ मॉ नीरा फ्यूल्स पेट्रोल पम्प बंजारी टोला परिसर में रखी हीरो कंपनी की साईकिल चोरी करना और उसे प्रगति मैदान के पास की झाड़ी में छिपाकर रखना बताया था। साक्षी ने आरोपी संदीप के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4 से भी इंकार किया है, जिसमें कथित रूप से आरोपीगण द्वारा उक्त साईकिल की चोरी करना और उसे झाड़ी में छुपाकर रखना बताया है। इस साक्षी ने उसके समक्ष पुलिस द्वारा आरोपी चितेश के बताने पर साईकिल की जप्ती किये जाने और उसकी चाबी आरोपी संदीप के बताने पर जप्त किये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस के कहने पर समस्त दस्तावेजों पर उसने हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार साक्षी ने मेमोरेण्डम कार्यवाही प्रदर्श पी-3, प्रदर्श पी-4, जप्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-5, प्रदर्श पी-6 व गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 से इंकार किया है।

10— महेन्द्र कुमार (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय प्रदीप ने रात को पेट्रोल पम्प के पीछे साईकिल लॉक लगाकर रखा था, जो रात 11:30 बजे दिखाई नहीं दी, तो उसने प्रदीप को बताया और साईकिल नहीं मिलने पर प्रदीप

के साथ जाकर अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट लेख कराई थी। इस प्रकार साक्षी ने फरियादी के आधिपत्य की साईकिल चोरी होने और उक्त के संबंध में अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट लेख कराए जाने का समर्थन किया है।

11— अनुसंधानकर्ता अधिकारी धनपाल (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-02.06.2015 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रदीप ब्रम्हे की मौखिक रिपोर्ट पर प्रधान आरक्षक सुलेखा मरकाम के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-69/15, धारा-380, 457 भा.द.वि. लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर प्रधान आरक्षक सुलेखा मरकाम के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर से वह साथ में कार्य करने के कारण परिचित है। उक्त अपराध क्रमांक की जायरी विवेचना हेतु उसे प्राप्त होने पर फरियादी प्रदीप ब्रम्हे की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही फरियादी प्रदीप, साक्षी महेन्द्र, रंजनसिंह एवं दिनांक-03.06.15 को लवलेश, राजकुमार के कथन लेख किये थे।

12— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसने दिनांक-03.06.2015 को आरोपीगण को अभिरक्षा में लेकर मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-3 एवं प्रदर्श पी-4 लेख किया था, जिसमें आरोपीगण ने मौके से उक्त साईकिल की चोरी करना और साईकिल को चाबी सहित प्रगति मैदान में छुपाकर रखना बताया था। साक्षी ने जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 के अनुसार साईकिल व चाबी आरोपीगण के बताने पर जप्त किया जाना बताया है। साक्षी ने आरोपीगण को गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-7 एवं 8 के अनुसार गिरफ्तार किया जाना बताया है।

13— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने मौके के निवासियों से कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी ने उसके द्वारा की गई कार्यवाही को थाने में बैठकर मन से तैयार किये जाने के संबंध में इंकार किया है। साक्षी के द्वारा मामलों में जप्ती अधिकारी के रूप में की गई महत्वपूर्ण कार्यवाही मेमोरेण्डम कार्यवाही एवं जप्ती पंचनामा का समर्थन उसके पंच साक्षीगण के द्वारा नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कथित साईकिल व उसकी चाबी की जप्ती प्रगति मैदान के पास की झाड़ी से किये जाने का जप्तीपंचनामा में लेख है। उक्त स्थान

सार्वजनिक एवं खुला स्थान होने के कारण आरोपीगण की ही जानकारी के आधार पर कथित जप्ती किया जाना संदेहास्पद प्रकट होता है, विशेषकर जब जप्ती के पंच साक्षीगण ने उक्त कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

14— मामलें में फरियादी प्रदीप के आधिपत्य की साईकिल चोरी होना तो प्रमाणित है, किन्तु उक्त चोरी आरोपीगण के द्वारा ही किये जाने के संबंध में अभियोजन की ओर से विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की गई है। मामलें में अज्ञात के विरुद्ध कथित चोरी की रिपोर्ट लेख कराई गई है तथा आरोपीगण से कथित मेमोरेण्डम व जप्ती की कार्यवाही विधिवत् प्रमाणित नहीं है। आरोपीगण के आधिपत्य से कथित साईकिल की जप्ती न होकर सार्वजनिक व खुले स्थान से जप्ती किया जाना प्रकट होता है तथा उक्त कार्यवाही का स्वतंत्र व पंच साक्षीगण के द्वारा समर्थन भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसी दशा में यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि आरोपीगण के द्वारा ही कथित साईकिल की चोरी की गई थी। इसके अलावा यह उपधारणा भी नहीं की जा सकती कि आरोपीगण ने कथित पेट्रोल पम्प के परिसर में रात्रि के समय चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया।

15— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने दिनांक—01.06.2015 की रात्रि 11:30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम बंजारीटोला माँ नीरा फ्यूल्स के परिसर में अन्य आरोपी के साथ मिलकर सूर्योदय के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया तथा माँ नीरा फ्यूल्स परिसर में से फरियादी प्रदीप ब्रम्हे की सहमति के बिना उसके आधिपत्य की हीरो कंपनी की साईकिल जिसका फ्रेम नंबर—एच.डी. 045/603 कीमती 2,500/—रुपये को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—457, 380/34 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

16— आरोपीगण प्रकरण में दिनांक—03.06.2015 से दिनांक—05.06.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। उक्त के संबंध में धारा—428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

17— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन साईकिल फ्रेम नंबर एच.डी-04511603 सुपुर्ददार प्रदीप ब्रम्हे वल्द जगदीश ब्रम्हे, निवासी ग्राम रेहंगी, थाना मलाजखण्ड बैहर जिला बालाघाट को प्रदान की गई है, जो अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट